UPVR010070202023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
न्यायालय संख्या-**03**, वाराणसी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या **-3724** सन् **2023**

आवेदक/अभियुक्त **नौशाद पुत्र सेराजुद्दीन** निवासी ककरमत्ता थाना मण्डुवाडीह, जिला वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य .....अभियोजन

मुकदमा अपराध संख्या-135/2023
धारा-452 भा०दं०सं०
थाना-लोहता,जिला-वाराणसी।

10.08.2023

आवेदक/अभियुक्त **नौशाद** पुत्र सेराजुद्दीन के तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र इस आश्य से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०-135/2023 अंतर्गत धारा-376,504,506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना-लोहता, वाराणसी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक-05.08.2023 की तिथि वास्ते सुनवाई की नियत है। मु०अ०सं०-135/2023 के आरोपपत्र में धारा 452 भा०दं०सं० की बढ़ोत्ती की गई है। बढ़ोत्ती की धारा 452 जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि पूर्व में दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र में बढ़ोत्ती तथ्य को स्वीकार/ अंगीकार करता है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है न ही घर में घुसकर कोई अपराध कारित किया है। परिस्थितियों उपरोक्त को देखते हुए प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाए।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 3202/2023 मु०अ०सं० 135/2023 अंतर्गत धारा 376,504,506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट दिनांक- 05.08.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 135/2023 में आरोपपत्र धारा 452 भा०दं०सं० की बढ़ोत्ती के पश्चात दाखिल किया गया है। चूंकि, मु०अ०सं० 135/2023 अंतर्गत धारा 376,504,506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट दिनांक- 05.08.2023 को निरस्त किया जा

चुका है।

चूंकि, मु०अ०सं० 135/2023 अंतर्गत धारा 376,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में निरस्त की जा चुकी है। अतः मु०अ०सं० 135/2023 में बड़ी हुई धारा 452 भा०दं०सं० में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **नौशाद** पुत्र सेराजुद्दीन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र 3724/2023 मु०अ०सं०-135/2023, अंतर्गत धारा-452 भा०दं०सं० खारिज किया जाता है।

दिनांक-10.08.2023

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)
कोर्ट संख्या-03, वाराणसी
जे०ओ० कोड-UP06473

Tushar Sharma,(Steno)

Digitally signed by SHAILENDER SINGH
Date: 2023.09.25 16:37:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court